न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)
क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 17/2016/(2016/00085) भीलवाड़ा

राजेन्द्र सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा।

अपीलार्थी

बनाम

जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुद्य अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
आदेश दिंनाक 20–05–2016

———

उपस्थितः 1– श्री मदन लाल गुर्जर अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 28–11–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी राजेन्द्र सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आरजिया तहसील भीलवाड़ा का निवासी है, जिसके नाम एक 12 बोर डबल बेरल गन नम्बर 85077/36578 का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/03/1990 का लाईसेंसधारी है। उक्त शस्त्र का अनुज्ञा पत्र दिनांक 31–12–2013 तक नवीनीकृत था जिसे आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण कराने हतु जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा के समक्ष आवेदन पत्र मय आचरण संबंधी शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया जिस पर जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से रिपोर्ट प्राप्त की। जिला पुलिस अधीक्षक,

भीलवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर पुलिस थाना में जमा कराने का आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 20–5–2016 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को बिना नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय आदेश पारित कर शस्त्र अनुज्ञा पत्र आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होना मानकर उसका अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने का आदेश पारित किया जबकि उक्त आपराधिक प्रकरणों का कई सालो पूर्व ही निर्णय होकर अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जा चुका है जिसकी प्रतिया पुलिस थाना में अपीलार्थी द्वारा दे दी गई थी किन्तु जिला पुलिस अधीक्षक ने उक्त तथ्यों की जांच किये बिना अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण विचाराधीन होना बता दिया जिसके आधार पर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी का उक्त शस्त्र पुश्तैनी है जो उसे पारिवारिक वंशावली में प्राप्त हुआ है तथा उक्त हथियार का कभी भी दुरूपयोग नहीं किया है बल्कि अपीलार्थी एक शांतिप्रिय व्यक्ति है जिसका शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बिना किसी आधार के निरस्त करने में भारी भूल की है जबकि जिला मजिस्ट्रेट, ने अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होना बताया है जिनका निर्णय किया जाकर अपीलार्थी उक्त प्रकरण मे बरी हो चुका है तथा इसी प्रकार मुख्य न्यायिक दण्डनायक भीलवाड़ा ने प्रकरण संख्या 13/1993 निर्णय दिनांक 3–6–1994 में भी अपीलार्थ को दोषमुक्त करने का आदेश प्रदान किया है। इस कारण अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–5–2016 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/03/1990 को नवीनीकरण किये जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किये जाने का

प्रावधान है। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा की रिपोर्ट दिनांक 13–2–2016 के बिन्दु संख्या 6 में अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया जाना अनुचित माना है। अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 530/92 अन्तर्गत धारा 279, 338 भादस में थाना कोतवाली पर दर्ज हुआ तथा प्रकरण संख्या 1/92 अन्तर्गत धारा 307, 365, 384 भादस में दर्ज हो सबंधित न्यायालय से दिनांक 8–6–94 को बरी हुआ है तथा प्रकरण संख्या 156/98 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323 भादस में दर्ज होकर संबंधित न्यायालय से दिनांक 6–10–2008 को 1000/– का जुर्माना हुआ है। अपीलार्थी को नियमानुसार आर्म्स एक्ट 1959 की धारा–21 का नोटिस भी जारी किया गया जिसका नोटिस के जवाब में प्राप्त प्रतिउत्तर पर पुनः जिला पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट चाही गई तथा अपीलार्थी को दिनांक 9–3–2016 को व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर प्रदान किया गया। अपीलार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/03/1990 निरस्त कर पुलिस थाना माण्डल पर जमा कराने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 530/92 अन्तर्गत धारा 279, 338 भादस में थाना कोतवाली पर दर्ज हुआ तथा प्रकरण संख्या 1/92 अन्तर्गत धारा 307, 365, 384 भादस में दर्ज हो सबंधित न्यायालय से दिनांक 8–6–94 को बरी हुआ है तथा प्रकरण संख्या 156/98 अन्तर्गत धारा 147,148 149, ,341, 323 भादस में दर्ज होकर संबंधित न्यायालय से दिनांक 6–10–2008 को 1000/– का जुर्माना हुआ है तथा जिला पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करना अनुचित बताया है। संबंधित न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को उनके विरूद्ध दर्ज मुकदमों में दोषमुक्त तो किया जा चुका है किन्तु अपीलार्थी आपराधिक प्रवृति का होने के कारण किसी भी अनहोनी से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है तथा पूर्व में थाने में मुकदमें भी दर्ज हुए है। अपीलार्थी को लोक शांति व सुरक्षा के लिए लाईसेंस देना उचित नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा द्वारा अपने आदेश दिनांक 20–5–2016 द्वारा अपीलार्थी को लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके नाम जारी एक 12 बोर डबल बेरल गन नम्बर 85077/36578 का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/03/1990 को निरस्त किया जाकर लाईसेंस में दर्ज शस्त्र 12 बोर डबल बेरल संख्या 85077/36578 का आर्म्स अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/03/1990 को पुलिस थाना माण्डल में जमा कराने के आदेश पारित किये है। जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं

विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का आदेश क्रमांक/न्याय/ आदेश/ 2015/23003 दिनांक 20–5–2016 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर